न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 150/2022/अपील/आर्म्स एक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 04.11.2022
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

धनराज सुमन पुत्र श्री ग्यारसीलाल आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर, बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दीपक कुमार साहू, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

अपीलांट ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2022/11287 दिनांक 22.08.2022 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2022/11287 दिनांक 22.08.2022 से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के पत्रांक DSB/BUNDI/ARM- LIC(N)/2022/660 दिनांक 28.01.2022 से आवेदक द्वारा आत्मरक्षा हेतु हथियार चाहा जाने पर, आवेदक को किसी से कोई खतरा नहीं होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं किये जाने से अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2021 को खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 22.08.2022 पारित किया गया।

2 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2022/11287 दिनांक 22.08.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम के तहत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के समक्ष एक आवेदन–पत्र बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आत्मरक्षार्थ आयुध 12 बोर गन के लिये प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तालेडा, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट तालेडा, जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी राज० आदि से अपीलार्थी के बारे मे जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा गया, उक्त कार्यालयो से रिपोर्ट जांच प्राप्त करने के पश्चात माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट्स का अवलोकन कर अपीलार्थी/आवेदक को किसी को कोई खतरा नहीं होने का निष्कर्ष निकाल कर अनुज्ञा–पत्र आवेदन–पत्र खारिज कर दिया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तालेडा की रिपोर्ट क्रमांक न्याय/2022/06 दिनांक 21.01.2022, दिनांक 12.01.2022 तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट तालेडा बून्दी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक न्याय/2022/1368 आदि बिन्दुवार आवेदक/अपीलार्थी के पक्ष मे होने के बावजूद भी उक्त रिपोर्ट्स को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है इस कारण भी निर्णय दिनांक 22.08.2022 निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक डीएसबी/बून्दी/एआरएम.एलआईसी(एन)/2022/660 दिनांक 28.01.2022 में वर्णित तथ्य कि ''आवेदक द्वारा आत्मरक्षा हेतु हथियार चाहा गया है, किन्तु आवेदक को किसी से कोई खतरा नही होने से नया शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित नही है'', को आधार मानकर ही उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय नें उक्त निर्णय में न तो अपनी कोई राय प्रकट की है और न ही विभिन्न कार्यालयों से अपीलार्थी के पक्ष में प्राप्त रिपोर्ट्स के बारे में मत व्यक्त किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, इसलिये भी निर्णय दिनांक 22.08.2022 निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा आत्मरक्षार्थ हथियार (आयुध) 12 बोर गन का अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया था क्योंकि उसकी कृषि भूमि नेशनल हाईवे के समीप है जिस पर अपीलार्थी व उसके परिवारजन को कृषि कार्य हेतु रात मे भी आना जाना पडता है, फसलों की रातों मे भी रखवाली करनी पडती है, फसलो को पानी पिलाते वक्त रातों मे भी खेत पर ही रूकना होता है जिस वजह से अपीलार्थी को खेत में भी रात गुजारनी पडती है और रात्रि में जंगली जानवरो के साथ–साथ डाकू, चोर, लुटेरे, बदमाश आदि का भी भय बना रहता है तथा कभी भी अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसी परिस्थितियो मे अपीलार्थी को आत्मरक्षार्थ आयुध 12 बोर गन की आवश्यकता है ताकि वह स्वयं व परिवारजन की रक्षा कर सके। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निष्कर्ष निकालकर कि आवेदक को किसी से कोई खतरा नही है, गंभीर त्रुटि की है। इस कारण निर्णय दिनांक 22.08.2022 निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 को अपास्त कर अपीलार्थी के पक्ष में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आत्मरक्षार्थ हथियार (आयुध) 12 बोर गन का अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया था क्योंकि उसकी कृषि भूमि नेशनल हाईवे के समीप है जिस पर अपीलार्थी व उसके परिवारजन को कृषि कार्य हेतु रात मे भी आना जाना पडता है, फसलों की रातों मे भी रखवाली करनी पडती है, फसलो को पानी पिलाते वक्त रातों मे भी खेत पर ही रूकना होता है जिस वजह से अपीलार्थी को खेत में भी रात गुजारनी पडती है और रात्रि में जंगली जानवरो के साथ–साथ डाकू, चोर, लुटेरे, बदमाश आदि का भी भय बना रहता है तथा कभी भी अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसी परिस्थितियो मे अपीलार्थी को आत्मरक्षार्थ आयुध 12 बोर गन की आवश्यकता है ताकि वह स्वयं व परिवारजन की रक्षा कर सके। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निष्कर्ष निकालकर कि आवेदक को किसी से कोई खतरा नही है, के आधार पर निर्णय दिनांक 22.08.2022 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 को अपास्त कर अपीलार्थी के पक्ष में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश फरमाया जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 631 : (2006) 2 RCR (criminal) 898, (2016) 3 CLR 1292 पेश किये।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी को किसी से कोई खतरा नहीं होने से ही नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा कोई अभिशंषा नहीं करने से ही आवेदन–पत्र दिनांक 09.12.2021 खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु दिनांक 09.12.2021 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक के आवेदन पत्र के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रांक न्याय/शस्त्र/2021/26770–73 दिनांक 17.12.2021 से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी, पुलिस अधीक्षक, राज्य विशेष शाखा, सी0आई0डी0 (इन्टेलिजेंस जोन रेंज), कोटा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तालेड़ा, उप वन संरक्षक, बून्दी से बिन्दुवार जांच करवाकर रिपोर्ट/वस्तुस्थिति चाही गई। जिसमें पुलिस विभाग से चाही जाने वाली रिपोर्ट के बिन्दु सं0 6 में अंकित किया गया है कि "प्रार्थी को हथियार की आवश्यकता क्यों है?" एवं बिन्दु सं0 7 में अंकित किया गया है कि "क्या आवेदक को अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित है"। इस प्रकार अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय द्वारा संबंधित विभाग से रिपोर्ट चाही जाने पर पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक, बून्दी के द्वारा रिपोर्ट क्रमांक DSB/BUNDI/ARM- LIC(N)/2022/660 दिनांक 28.01.2022 से आवेदक द्वारा आत्मरक्षा हेतु हथियार चाहा जाने पर, आवेदक को किसी से कोई खतरा नहीं होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की गई। इस प्रकार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2022/11287 दिनांक 22.08.2022 से जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के पत्रांक DSB/BUNDI/ARM- LIC(N)/2022/660 दिनांक 28.01.2022 से आवेदक द्वारा आत्मरक्षा हेतु हथियार चाहा जाने पर, आवेदक को किसी से कोई खतरा नहीं होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं किये जाने से अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2021 को खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 22.08.2022 पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा